पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 06 वांछित अभियुक्त व NBW में 02 वारण्टी गिरफ्तार एवं 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

दिनांक- 15.10.2024

दिनांक- 14/15.10.2024 को-

01-थाना बन्थरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 49/2023 धारा 395/412 से सम्बन्धित अभियुक्त मोसिन

02-थाना जानकीपुरम में पंजीकृत मु0अ0सं0 314/2024 धारा 305(ए)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01-सुधीर कश्यप 02- रवि वर्मा

03-थाना कृष्णानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 471/2024 धारा 3(5)/309(6)/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त प्रद्युम्न रावत उर्फ बॉबी

04-थाना मडियाँव में पंजीकृत मु0अ0सं0 62/2024 धारा 379/411 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ अनुज

05-थाना ठाकुरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 485/2024 धारा 77/64(1)/123 BNS व 67ए IT ACT एवं 3(2)(V) SC/ST ACT से सम्बन्धित अभियुक्त अमित वर्मा गिरफ्तार।

06-थाना आशियाना में पंजीकृत मु0अ0सं0 357/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

एवं

NBW में थाना गोमतीनगर से 01, थाना माल से 01 वांछित वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

जोन-दक्षिणी

थाना कृष्णानगर-

दिनांक 14.10.2024 को समय करीब रात्रि 08.30 बजे वादी ललित कुमार जायसवाल निवासी नीलमथा बाजार कैण्ट, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया जिसमें दिनांक 13.10.2024 को समय करीब रात्रि 09.00 बजे वादी का मोबाइल फोन (वीवो Y 15C) को घर, दुकान व कमरे में ढूंढ़ने पर नही मिला, जो किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया है तथ्य अंकित है। **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 113/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन-पश्चिमी

थाना मलिहाबाद-

दिनांक 14.10.2024 समय करीब दोपहर 03.30 बजे वादिनी रिंकी निवासिनी काजी खेड़ा मजरा सेंधरवा ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचनी दी जिसमें दिनांक 28.09.2024 को जब वादिनी सोकर उठी तो देखा बक्सा खुला हुआ था, बक्से मे रखा हुआ सामान सोने व चाँदी के कीमती जेवरात को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया है, अभी तक आसपास खोजबीन कर रहे थे, तो पता नही चला तो दिनांक 14.10.2024 को थाने पर प्रार्थना पत्र देने आये है, तथ्य अंकित है। **वादिनी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 326/2024 धारा- 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>जोन-दक्षिणी</u>

<u>थाना निगोंहा -</u>

दिनांक 15.10.2024 को श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व० छेदालाल निवासी ग्राम मीरकनगर थाना निगोहों जनपद लखनऊ ने थाना स्थानीय पर सूचना दिया कि दिनांक 15.10.24 को उनका छोटा भाई विजय कुमार पुत्र स्व० छेदालाल उम्र करीब 25 वर्ष ने अपने ही घर के कमरे में खूटी पर साड़ी का फंदा डालकर फांसी लगा ली, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी है। नियमानुसार पंचायतनामा/पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही कराने की कृपा करें। **इस सूचना पर तत्काल उप-निरीक्षक श्री आनन्द प्रताप सिंह थाना निगोंहा द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।**